मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

प्रधान कार्यालय, 4–ए, गोखले मार्ग, लखनऊ

Office Phone no : 0522-2208737, 2207065 fax: 0522-2208769
Website : www.mvvnl.in
E-mail : md.mvvnl2010@gmail.com
CIN:U31200UP2003SGC02745

प्रेस विज्ञप्ति

मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0 द्वारा अपने सम्मानित विद्युत उपभोक्ताओं की शिकायतों का त्वरित निस्तारण किए जाने की कटिबद्धता एवं उपभोक्ताओं की शिकायतों के निस्तारण में भागीदारी को बढ़ावा देने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ता व्यथा निवरण फोरम) विनियमावली, 2022 के बिन्दु सं0 3.3 एवं बिन्दु सं0 3.5 में उल्लिखित नियम एवं शर्तों के अनुपालन में मध्यांचल (कम्पनी स्तर) पर सदस्यों का चयन किया जाना है। विस्तृत जानकारी के लिए म0वि0वि0नि0लि0, लखनऊ की www.mvvnl.in अधिकारिक वेबसाइट पर जानकारी प्राप्त कर सकते है। इच्छुक आवेदनकर्ता निर्धारित प्रारूप में समस्त सूचनाएं भरकर दिनांक 10.06.2026 तक अधिशासी अभियन्ता उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम (कम्पनी स्तर), कमरा नं0–56, कार्यालय प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, 4–ए, गोखले मार्ग लखनऊ, पिन कोड–226001 पर किसी भी कार्यदिवस पर जमा कर सकते है अथवा डाक के माध्यम से भी प्रेषित कर सकते है।

कम्पनी स्तर पर आयोग द्वारा नामित किये जाने वाले सदस्यों की योग्यता निम्नवत् है :–

	प्रथम नामित सदस्य (उपभोक्ता)	दूसरा नामित सदस्य (उपभोक्ता)	एक नामित सदस्य (प्रोज्युमर)	आयोग द्वारा नामित किया जाने वाला एक स्वतंत्र सदस्य
कम्पनी	• कम्पनी क्षेत्र का उपभोक्ता जो कम से कम स्नातक हो। • कम से कम 10 किलोवाट लोड का घरेलू कनेक्शन होना चाहिए। • मौजूदा श्रेणी के तहत पिछले 3 वर्षों से लगातार उपभोक्ता रहा हो, अच्छा पूर्ववृत्त होना चाहिए और जिस पर विद्युत का कोई बकाया न हो।	• कम्पनी क्षेत्र का उपभोक्ता जो कम से कम स्नातक हो। • एच0वी0–1/एच0वी0–2 का श्रेणी का संयोजनधारी उपभोक्ता होना चाहिए। • मौजूदा श्रेणी के तहत पिछले 3 वर्षों से लगातार उपभोक्ता रहा हो, अच्छा पूर्ववृत्त होना चाहिए और जिस पर विद्युत का कोई बकाया न हो।	• कम्पनी क्षेत्र का उपभोक्ता जो कम से कम स्नातक हो। • कम से कम 20 किलोवाट अनुबन्धित लोड वाला व्यक्ति होना चाहिए। • मौजूदा श्रेणी के तहत पिछले 3 वर्षों से लगातार उपभोक्ता रहा हो, अच्छा पूर्ववृत्त होना चाहिए और जिस पर विद्युत का कोई बकाया न हो।	• कम्पनी के क्षेत्र का उपभोक्ता होना चाहिए। • एक ऐसा व्यक्ति होगा, जो सिविल सेवा में हो अथवा रहा हो जोकि एडीएम के पद से नीचे न हो। • सदस्य जिसमें न्यूनतम आयु 45 वर्ष कर ली हो। • मौजूदा श्रेणी के तहत पिछले 3 वर्षों से लगातार उपभोक्ता रहा हो, अच्छा पूर्ववृत्त होना चाहिए और जिस पर विद्युत का कोई बकाया न हो।

PK Sagar 27/4/26

(पी0के0 सागर)
अधिशासी अभियन्ता (सी0जी0आर0एफ0)